

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- 1- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 3- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला)
- 5- प्रमुख/मुख्य अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय/डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय/डा० राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ।

संख्या-प्रशि०प्रको०/पी०जी०-एम०डी०/एम०एस०/300/2016/

लखनऊ : दिनांक 02/6/2017

विषय-प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों के सी०एच०सी० एवं पी०एच०सी० चिकित्सालयों में कार्यरत पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीट-2017 के क्रम में National Boaed of Examinations (NEET-PG 2017) दिनांक 25.05.2017, की जारी नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत है, कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी जिनकी शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों के सी०एच०सी० एवं पी०एच०सी० चिकित्सालयों में न्यूनतम एक वर्ष से तीन वर्ष तक की सेवा (दिनांक 31.12.2016 तक) पूर्ण हो गयी है, ऐसे अनेक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नीट-2017 की परीक्षा दी गयी है तथा जिन चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त कर लिये है, को National Boaed of Examinations (NEET-PG 2017) दिनांक 25.05.2017, की जारी नोटिस के अनुपालन में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत ऐसे चिकित्साधिकारी जिन्होंने नीट-2017 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो एवं अनउत्तीर्ण हो गये हैं, को National Boaed of Examinations (NEET-PG 2017) दिनांक 25.05.2017, की जारी नोटिस के अनुपालन में तत्काल सूचित कर दे। इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर अपना बायोडाटा एवं वांछित अभिलेखों को अपने तैनाती स्थान के सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन के उपरान्त आवेदन पत्र को महानिदेशालय के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में दिनांक 05.06.2017 (अन्तिम तिथि) तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त सूचना सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से तत्काल सूचित कराना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नक : प्रारूप।

भवदीय,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

संख्या-प्रशि०प्रको०/पी०जी०-एम०डी०/एम०एस०/300/2016/

3906-07

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-3
2. निदेशक, एन०आई०सी० योजन भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट [www.uphealth.up.nic.in](http://www.uphealth.up.nic.in) पर लोड कराने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

नीट-2017 की परीक्षा में सम्मिलित राजकीय चिकित्सा अधिकारियों को National Board of Examinations (NEET-PG 2017) दिनांक 25.05.2017, की जारी नोटिस के अनुपालन में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु अवेदन पत्र का प्रारूप

1. चिकित्सा अधिकारी का पूरा नाम .....
1. पिता का नाम .....
2. जन्म तिथि .....
3. वरिष्ठता क्रमांक .....
4. ई-मेल आईडी0 ..... मो0 नं0 .....
5. नीट-2017 की परीक्षा का रोल नं0 ..... रैंक ..... प्राप्त अंक.....
6. पी.एम.एच.एस. संवर्ग में लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त प्रथम नियुक्ति तिथि (नियुक्ति पत्र, पी-2 एवं परीक्षाफल की छाया प्रति संलग्न की जाये)-
7. प्रथम नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ..... (कार्यभार प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय)
8. आरक्षण श्रेणी (जो लागू हो उसमें टिक करें)  
अनुसूचित जाति/जनजाति  अन्य पिछड़ा वर्ग  सामान्य   
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये)
9. एम0बी0बी0एस0 की डिग्री का वर्ष ..... मेडिकल कालेज का नाम ..... राज्य का नाम (डिग्री की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
10. (क) विशेषज्ञता (डिप्लोमा/डिग्री) यदि पूर्व से कोई हो प्रमाण पत्र संलग्न करें -
11. प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक की तैनातियों का विवरण:-

क्र.सं.	पद नाम	तैनाती स्थान	तैनाती अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

12. अभ्यर्थियों की ग्रामीण सेवा अवधि का विवरण (शासन द्वारा दिनांक 26.05.2015 को अधिसूचित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के क्रम में)

क्र. सं.	वरि० क्रमांक	जनपद में ग्रामीण सेवा की तैनाती का स्थान	सी०एच०सी० / पी०एच०सी० पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	26.05.2015 की अधिसूचित सूची के द्वारा अनुमन्य ग्रामीण सेवा अवधि की गणना			योग
				दिन	माह	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							

अनुमन्य ग्रामीण सेवा की अवधि दिन ..... माह..... वर्ष .....

13. क्या किसी प्रकार की विभागीय/सर्तकता जांच अथवा अन्य कोई कार्यवाही प्रचलित तो नहीं है अथवा ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य तो नहीं है, तो पात्रता हेतु बाधक हो, विवरण दिया जायें।:-
14. स्नातकोत्तर अध्ययन में चिकित्सा अधिकारी की अधिकतम आयु 45 वर्ष दिनांक 31.12.2016 होनी चाहिए।
15. स्नातकोत्तर अध्ययन में चिकित्सा अधिकारी की सेवा की गणना कट-ऑफ डेट दिनांक 31.12.2016 मानी जायेगी।
16. एम०बी०बी०एस० की डिग्री संलग्न है। हाँ/नहीं
17. क्या पूर्व के तीन वर्ष में यू.पी.पी.जी.एम.ई.ई./नीट की परीक्षा में चयनित हुए हैं, हाँ/नहीं  
(यदि हाँ तो वर्ष/रोल नं०/रैंक/विषय अंकित किया जाये।)
18. क्या पूर्व के तीन वर्ष में यू.पी.पी.जी.एम.ई.ई. की काउंसिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया। (यदि हाँ तो वर्ष अंकित करें) हाँ/नहीं
19. क्या आप डिबार श्रेणी में आते हैं। हाँ/नहीं  
(अभ्यार्थी डिबार श्रेणी में नहीं आते हैं इस आशय का शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।) शपथ-पत्र मूल रूप में संलग्न करें।
20. क्या नोटरी द्वारा बाण्ड संलग्न किया गया है। हाँ/नहीं
21. नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का बाण्ड प्रस्तुत किया जायें जिसमें इस तथ्य की घोषणा हो कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित चिकित्सा अधिकारी को न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा अनिवार्य रूप से राजकीय चिकित्सालयों में करनी होगी। इससे विचलन की स्थिति में रूपया-1,00,00,000/- (रूपया एक करोड मात्र) की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। इसके लिए उक्त धनराशि को दो बराबर जमानतदार, जो विभागीय अधिकारी/कर्मचारी हो, जिनकी दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि बाकी हो अथवा उस धनराशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी।

